हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 जून, 2012

संख्या साठकाठिक 20/संविठ/अनुठ 309/2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-। सामान्य

संक्षिप्त नाम 1. (1) ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रारम्भ। सेवा नियम, 2012 कहे जा सकते हैं।

- (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं। 2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) ''प्रशासनिक सचिव'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणाः
 - (ख) ''मुख्य अभियन्ता'' से अभिप्राय है, मुख्य अभियन्ता, विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणाः
 - (ग) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
 - (घ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (ङ) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
 - (च) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिले का उपायुक्त;
 - (छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ज) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (झ) ''संयुक्त निदेशक'' से अभिप्राय है, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;

1823

- (ञ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो: तथा
- (ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग क्षेत्रीय कार्यालय) सेवा।

भाग- II सेवा में भर्ती

सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद शामिल होंगे:

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

- (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया सेवा में नियुक्त जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो :-
 - किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

- **(क)** भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजाः

परन्त् प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शेक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तू उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय. महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तृत न करें।
- 5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया आयु। जाएगा, जब तक वह आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम अथवा चालीस वर्ष से अधिक आयु का हो।
- 6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां,-

नियुक्ति प्राधिकारी।

- (i) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार, उप अधीक्षक, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, लेखाकार, सहायक, लेखा लिपिक, तथा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में निदेशक; तथा
- (ii) मुख्य प्रारूपकार, प्रारूपकार तथा रेखाकार की दशा में मुख्य अभियन्ता;
- (iii) सचिव तथा पटवारी की दशा में उपायुक्त; तथा
- (iv) चालक, आशुलिपिक तथा लिपिक की दशा में संयुक्त निदेशक; तथा ग्राम द्वारा की जाएगी।

अर्हताएं। 7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो आयोग के विवेक पर अनुभव सम्बधी योग्यताओं में पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिऐ जाएंगे।

निरर्हताएं। 8. कोई भी व्यक्ति,-

- (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह करने की संविदा कर ली है: या
- (ख) जिसने पित / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-
 - (क) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार की दशा में,-
 - (i) मुख्य प्रारूपकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (ख) उप अधीक्षक की दशा में.-
 - (i) सहायकों / लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ग) मुख्य प्रारूपकारों की दशा में,-
 - (i) प्रारूपकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (घ) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की दशा में,-
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ङ) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की दशा में,-
 - (i) सीधीं भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (च) सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी की दशा में,-
 - (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ii) 45 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत क्रमशः ग्राम सचिवों तथा पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (छ) प्रारूपकारों की दशा में,-
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ;
 - (ii) रेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (ज) लेखाकार की दशा में,—
 - (i) लेखा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (झ) सहायक की दशा में,-
 - (i) लेखा लिपिकों / कनिष्ठ आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ञ) लेखा लिपिकों की <mark>दशा में,-</mark>
 - (i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ट) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,-
 - (i) आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- ि (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:
- (ठ) चालक की दशा में,-
 - (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ii) 20 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ड) आशुलिपिकों की दशा में,—
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या 📑 🧖 🗺 🕡
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ढ) लिपिकों की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 20 प्रतिशत ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ण) ग्राम सचिवों की दशा में,-
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा
- (त) पटवारियों की दशा में,-
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नितयां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नितयों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षा। नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अविध के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी:
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अविध परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अविध के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानान्तरण के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अविध पूरी होने पर, यदि किसी अस्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य का आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह —
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, -
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, -
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति को तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्त न हो, तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग से सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञान करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता। 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवाओं में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधीं भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगाः
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगाः
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगीं, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और
- विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा:

परन्तु यह और कि इन नियमों में इकट्ठे रखे गये समरूप संवर्ग वाले कर्मचारियों की ज्येष्ठता, जो पूर्व में विभिन्न नियमों के सेट के अधीन शासित थे, इन नियमों के प्रारम्भ से धारित पदों पर उनकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी।

- (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा सेवा करने का उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा दायित्व। करने के लिए दायी होगा।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--
 - (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय:
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास न हो अथवा गैर–सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

- 13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।
- 14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना । 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पूनः टीका लगवाएगा।

सत्यनिष्ठा की शपथ। 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्तियां। 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध। 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझें तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1980 तथा निरसन तथा हरियाणा पंचायत विभाग राज्य सेवा, ग्रुप ग नियम, 1979 इसके द्वारा, निरसित किए व्यावृति। जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

क्रम	पद नाम	पद	ों की संख	या 💮	वेतनमान
संख्या		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	1	4	5	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹4000
2	उप अधीक्षक	. 8	34	42	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3600
3	मुख्य प्रारूपकार	1	22	23	वेतन बैंड−2 ₹ 9300−34800+₹3600
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	70	447	517	वेतन बैंड2 ₹ 9300-34800+₹3600
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	2	3	5	वेतन बैंड−2 ₹ 9300−34800+₹3600
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	86	83	119	वेतन बैंड−2 ₹ 9300−34800+₹3200
7	प्रारूपकार	15	11	26	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3200
8	लेखाकार	76	83	159	वेतन बैंड2 ₹ 9300-34800+₹3200
9	सहायक	235	45	280	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3200
10	लेखा लिपिक	12	142	154	वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200+₹2400
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	-	4	4	वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200+₹2400
12	चालक	72	90	162	वेतन बैंड—1 ₹ 5200—20200+₹2400 + ₹100 विशेष वेतन
13	रेखाकार	2	-	2	बैंड वेतन ₹ 5200—20200+₹2000
14	आशुलिपिक	71	93	164	बैंड वेतन ₹ 5200—20200+₹1900+ ₹100 विशेष वेतन
15	लिपिक	235	100	335	बैंड वेतन ₹ 5200—20200+1900
16	ग्राम सचिव	900	1337	2237	बैंड वेतन ₹ 5200—20200+₹1900
17	पटवारी	116		116	बैंड वेतन ₹ 5200-20200+₹1900

- 1833
- टिप्पण: (i) विकास तथा पंचायत विभाग हेतु अनुभाग अधिकारी (अधीनस्थ लेखा सेवा) के 30 पद स्वीकृत हैं, जो वित्त विभाग हरियाणा से भरे जाने हैं।
 - (ii) विकास तथा पंचायत विभाग हेतु नायब तहसीलदार का एक पद स्वीकृत है, जो राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग से भरा जाना है।
 - (iii) पदोन्नति, सेवानिवृति तथा किन्ही अन्य कारणों से रिक्त होने वाला रेखाकार का पद स्वतः समाष्त हो जाएगा, चूंकि रेखाकार का संवर्ग हास संवर्ग है।
 - (iv) ग्राम सचिव तथा पटवारी की दशा में जिला संवर्ग बनाया जाएगा, तथापि, उनकी ज्येष्ठता राज्य स्तर की होगी तथा तदानुसार बनाई जाएगी। जिलावार इन पदों का विवरण परिशिष्ट-क-1 संलग्न है।

क्र०सं०	जिले का नाम	पद का नाम	पदों की संख्य
1		ग्राम सचिव	150
]	Graidi	पटवारी	6
2	भिवानी	ग्राम सचिव	172
	144111	पटवारी	9
3	फरीदाबाद	न्याम सचिव	41
	7/19/9/9	पटवारी	2
4	फतेहाबाद	ग्राम सचिव	91
	Transport of the second	पटवारी	5
5	गुड़गांव	ग्राम सचिव	77
	30111	पटवारी	4
6	हिसार	ग्राम सचिव	115
		पटवारी	9
7	झज्जर	ग्राम सचिव	91
		पटवारी	5
8	जीन्द	ग्राम सचिव	112
Ĭ <u>-</u>		पटवारी	7
9	कुरुक्षेत्र	ग्राम सचिव	140
-	3,414	पटवारी	5
10	करनाल	ग्राम सचिव	135
10		पटवारी	6
11	कैथल	ग्राम सचिव	98
		पटवारी	6
12	मेवात	ग्राम सचिव	114
		पटवारी	5
13	महेन्द्रगढ़	ग्राम सचिव	127
		पटवारी	5
14	पलवल	ग्राम सचिव	87
		पटवारी	4
15	पानीपत	ग्राम सचिव	59
		पटवारी	5
16	पंचकूला	ग्राम सचिव	44
		पटवारी	4
17	रेवाड़ी	ग्राम सचिव	128
,		पटवारी	5
18	रोहतक	ग्राम सचिव	53
		पटवारी	_ 5
19	सिरसा	ग्राम सचिव	123
		पटवारी	7
20	सोनीपत	ग्राम सचिव	118
		पटवारी	7
21	यमुनानगर	ग्राम सचिव	162
		पटवारी	6

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	C C	पदोन्नति द्वारा— मुख्य प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
		1919	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार के रूप मे
ह्य- वि ग	(19) (Club kit, a	त्राम (स्वर्ग (सार इंग्लिक्स) १५ स्थियां व	दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा
Fost (A	ास में गान के हिं	मान्यार यह में प्राप्त प्राप्त स्वीच्या प्राप्त स्वाप्त स्वीच्या प्राप्त स्वीच्या प्राप्त	(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि—पत्र,
2 6 (1) (6)	उप अधीक्षक भारत भीको ।	Men in	पदोन्नित द्वारा— सहायक / लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
6	April 2 -	ाम विस्ता (स्ता) इ. के.स्ट्री	(i) उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में
3	मुख्य प्रारूपकार	F THE TAXE DO NOT THE TAXE OF THE TAXES OF TAXES OF THE TAXES OF THE TAXES OF TAXES OF THE TAXES OF TAXES	हिन्दी / संस्कृत; पदोन्नित द्वारा— प्रारूपकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
TWEE, TV	ि ॥ — के च्या । जिल्ला		 (i) मुख्य प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा
-p- 1	iliya Yangan	substitution - 1 section - 1 s	(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि–पत्र;
4 15 FC 1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक / 10+2 या इसके समकक्ष;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत; तथा

1	2	3	4
4	Major 1620-16	तथा (iiii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि–पत्र,	(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि—पत्र;
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक / 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत; तथा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत; तथा
ng g	Stenant See	(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि–पत्र;	(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि—पत्र;
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक, तथा	पदोन्नित द्वारा— ग्राम सचिव / पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
-Y	ग ंड ह <i>े</i> हाथ है। 1 वस्तु है	शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;	 (i) समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;
7	प्रारूपकार 	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक / 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;	पदोन्नित द्वारा— (i) रेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार
্নার্থী চুটার্থ ট		तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि—पत्र;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-
i t	लेखाकार	AP / (ME) DA PET	पदोन्नति द्वारा-

1	2	3	
-		3	4
• 5 - 33		And the second of the second o	लेखा लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) लेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव,
1.5	8 1 2		 (i) लेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;
9	सहायक	— cris	पदोन्नति द्वारा-
	nes relgs	e to landed on	लेखा लिपिक / किनष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
		(i)	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 4			(i) सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा
			(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;
10	लेखा लिपिक	The trypological decision is	पदोल्लित द्वारा
). et	15 H 19 0	nemálytes (1) sprekos nem prosin	लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
4 1984.	a श्रीर हात		(i) लेखा लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा
	,	Det Egypte	(ii) मैद्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;
11	कनिष्ठ वेतनमान		पदोन्नति द्वारा–
	आशुलिपिक	08 (35) 8 5 (4 %	(i) आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		neg m	(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; या
No Pro			(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;
5 1	Y		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-
3000	F - 5 R FR	Tiger	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा
are di Cota	ist of the	as minited to the first the first to the fir	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;

1	2	3	4
12	चालक	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से	पदोन्नति द्वारा–
	rvis sammiki Prima	हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष;	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष,
	o nga sa sa	(ii) हल्का या भारी वाहन का वैध ड्राईविंग लाईसेंस तथा चालक के रूप में तीन वर्ष का	(ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा;
×		अनुभवः	(iii) हल्का या भारी वाहन का वैध ड्राईविंग लाईसेंस;
	-en- 12	r Judinsk	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
	10年,不是 15年,15年		(i) चालक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा
j. 17 - 5 . 1	i i	106	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत।
13	रेखाकार	ह्यसं संवर्ग।	
-		(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
14	आशुलिपिक हर्म हर्म हर्मीहर्मिक	मैट्रिक / हायर सेकेण्डरी / 10+2 (व्यावसायिक) या इसके समकक्ष;	(i) आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा
	6 T	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत, तथा	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा मे हिन्दी / संस्कृत।
		(iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से	Fire let
146		उसका प्रतिलेखन, या 80 ' शब्द प्रति मिनट की गति से	
. 1:	ਜਿਸ ਤੋਂ ਵ ਤੁਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੇ ਤੋਂ	अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;	
15	लिपिक	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से	पदोन्नति द्वारा–
ь	10 2 15 15 17 15 2	मैट्रिक / हायर सेकेण्डरी / -10+2 (व्यावसायिक) या	(i) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा;
१ पह	ខាន្តភាពខ្មែរ។ - នៅពេល	इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा	(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी य संस्कृत सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष
F April	72	(iii) नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के	तथा (i) पदोन्नत व्यक्ति को पदोन्नति की तिरि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी

11	2	3	4
्रेयः । व्यव व्यक्तिस व्यक्तिस्य व्यक्तिस्य		भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में कमशः 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित होगा अन्यथा उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी।	अपेक्षित होगा अन्यथा उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
fa i la li		ausja kartene	(i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा उम्मीदवार टाईप टैस्ट अर्हित होना चाहिए; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत।
16	ग्राम सचिव	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक / हायर सेकेण्डरी / 10+2 या इसके समकक्ष; तथा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) ग्राम सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा
	पूर्व । । । । प्रस्थित	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी या संस्कृत;	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।
17	पटवारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक / हायर सेकेण्डरी / 10+2 (व्यावसायिक) या इसके समकक्ष, तथा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) पटवारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव, तथा
e fin p		(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।

परिशिष्ट ग

eral .	The Section of	544 5.	पाराशष्ट ग [<i>(देखिए नियम 14(1</i>)]		
क्रम संख्या	पदनाम -1%	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1_	2	3	4	5	6	7
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	निदेशक	I छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल,	1	प्रशासनिक सचिव	सरकार
2.	उप अधीक्षक		(आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए	1		
3.	मुख्य प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता	चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना;	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	निदेशक	(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय	Part (Part (Part))	प्रशासनिक सचिव	सरकार
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)		सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय			ari ç
6	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	निदेशक	चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
7	प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता	नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या विधानमण्डल के	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
8	लेखाकार	निदेशक	विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित	निदेशक	प्रशासनिक	सरकार
9	सहायक .	1	किसी स्थानीय प्राधिकरण		सचिव	
10	लेखालिपिक		या विश्वविद्यालय को हुई			
11	कनिष्ठ आशुलिपिक		किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;			¥
12	चालक	संयुक्त निदेशक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	त्रशासनिक सचिव
13	रेखाकार	मुख्य अभियन्ता	II बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
14	आशुलिपिक	संयुक्त	वृद्धियां रोकनाः;	संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक
15	लिपिक	निदेशक	(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि	(4	* 1	सचिव
16	ग्राम सचिव	उपायुक्त	के लिए समय–मान में निम्नतर प्रक्रम पर	उपायुक्त	निदेशक	प्रशासनिक
17	पटवारी		अवनति ऐसे अतिरिक्त	· ·		सचिव

_1	2	. 3	4	5	6	7
	*		निदेशों सहित कि क्या			
			सरकारी कर्मचारी ऐसी			
			अवनति की अवधि के			
1001 23	K 17 1757		दौरान वेतन वृद्धियां	T TS 50%	B.11 -	1 100
		1	अर्जित करेगा या नहीं			
		-	और क्या ऐसी अवधि	= ==== = :		
		-	की समाप्ति पर, ऐसी			
			अवनति उसकी भावी	11,		
		İ	वेतन वृद्धियां स्थगित	1 10 1 PX	7	
			करने का प्रभाव रखेगी			
- 1		-	या नहीं;	T. Sept.	-	
++1			(viii) निम्नतर वेतनमान,	HE PER		
1		100	ग्रेंड, पद या सेवा पर	eye di -	ar c	
- 1		100	ऐसी अवनति जो			
.		Marm."	सरकार कर्मचारी के	magazina na		
1				5.4 e. 1		
	a v		उस समय वेतनमान,			
i	=		ग्रेड, पद या सेवा पर,		The state of	
		-	जिससे वह अवनत			
	S17 37	50	किया गया था, पदोन्नति के लिए	2 12 13	Transfer of	Ank -
		- 774 LV			- 1	
- 1		1.00	साधारण, तथा रोक			
7 3 154	Section and	- 10 A	होगी, ऐसा जिस ग्रेड			-4-
			अथवा पद या सेवा से			
	15	afferheit	सरकारी कर्मचारी		4	ज्यान
			अवनत किया गया था		- 1	71-7-1-1
			उस पर बहाली सम्बन्धी			STATE OF THE STATE
1	* 1		और उसकी ज्येष्टता		7.7	100
			तथा उस ग्रेड, पद या	140	1	2
		1	सेवा पर वेतन के बारे	1	girala li	
no la	de antigen	36619.00	में शर्ती सम्बन्धी	1		
n Pa			अतिरिक्त निदेशों के			. 8 5 56
DESTRI	46 (O) (O) (O)	क्रीहर्ग ।	साथ या उनके बिना			
	AT STORT	1785की।	होगा;			
			ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;	k!		- 110
			x) सेवा से हटाया जाना			197
84-7	सरीया है।	of File	जो सरकार के अधीन			. 1
			भावी नियोजन के लिए	1		
-						LATE I
	.579 5.4		निरर्हता नहीं होगी;			
-	- 1	(xi) सेवा से पदच्युति जो			
	77.60	Dex Pr	सरकार के अधीन			1
	r in Survey	2/19/5	भावी नियोजन के लिए			
			सामान्यतः निरर्हता		- 17	
			होगा।			

परिशिष्ट घ

[(देखिए नियम 14 (2)]

क्रम सं०	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
2.	उप अधीक्षक	अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में	e		
3.	मुख्य प्रारूपकार	कमी करना या रोकना;	मुख्य अभियन्ता 🤼 ृ	निदेशक .	प्रशासनिक सचिव
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	(ii) उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति;	ns s. V ja falati i		
6	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	1012 122 127 128	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
7	प्रारूपकार	6 186	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
8	लेखाकार	·	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
9	सहायक			सायव	
10	लेखालिपिक	10 mg	olika yes Japanen		
11	कनिष्ठ आशुलिपिक	Acresi	THE 14 1-17		
12	चालक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
13	रेखाकार	PAGE 1	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
14	आशुलिपिक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
15	लिपिक		PR	44	
16	ग्राम सचिव		उपायुक्त	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
17	पटवारी	[15] . (15) . (1	to a final I		

पी० राघवेन्द्र राव, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 6th June, 2012

No. GSR 20/Const./Art-309/2012.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service, namely:-

VAT PART-I DIE ENGLERISIES

GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012.

Short title and commencement.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, --

Definitions.

- (a) "Administrative Secretary" means the Administrative Secretary, Development and Panchayats Department, Haryana;
- (b) "Chief Engineer" means the Chief Engineer, Development and Panchayats Department, Haryana;
- (c) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;
- (d) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (e) "Director" means the Director, Development and Panchayats Department, Haryana;
- (f) "Deputy Commissioner" means Deputy Commissioner of the respective district.
- (g) "Government" means the Haryana Government, in the Administrative Department;
- (h) "institution" means, --
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
- (ii) any other institution recognized by Government for the purpose of these rules;
 - (i) "Joint Director" means the Joint Director (Administration) Development and Panchayats Department.

- (j) "recognized university" means, --
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which has been declared recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (k) "Service" means the Haryana Development and Panchayats Department, (Group C) Field Offices Service.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of the posts.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to

Service.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, --
 - (a) a citizen of India; oralug approach solitio la
 - (b) a subject of Nepal; or do an and our
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

Appointing authority.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty years of age, on the last date of submission of application to the Commission.

- 6. Appointments to the posts in the Service shall be made by,--
 - (i) Director in the case of Circle Head Draftsman, Deputy Superintendent, Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical), Social Education and Panchayat Officer, Accountant, Assistant, Accounts Clerk and Junior Scale Stenographer;
- Chief Engineer in the case of Head Draftsman, Draftsman and Tracer;
 - (iii) Deputy Commissioner in the case of Gram Sachiv and Patwari; and
 - (iv) Joint Director in the case of Driver, Steno-typist and Clerk.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed otherwise than by direct recruitment:

Qualification.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty per cent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

No person, -(a)

living; or

- Disqualification. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Recruitment to the Service shall be made,--(1)

Method of recruitment.

- (a) in case of Circle Head Draftsman, -
 - by promotion from amongst the Head Draftsmen; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- in case of Deputy Superintendent,-
 - by promotion from amongst Assistants/Accountants; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (c) in case of Head Draftsman,--
 - (i) by promotion from amongst the Head Draftsmen; or
 - by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - (d) in case of Junior Engineer (Civil),--
 - (i) by direct recruitment; or
 - by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - in case of Junior Engineer (Electrical),--(e)
 - by direct recruitment; or (i)
 - by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (f) in case of Social Education and Panchayat Officer,--
 - (i) 50 percent by direct recruitment; and
 - (ii) 45 percent and 5 percent by promotion amongst Gram Sachivs and Patwaris respectively; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (g) in case of Draftsman,--
 - (i) by direct recruitment; and
 - (ii) by promotion from amongst the Tracers; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (h) in case of Accountant,--
 - (i) by promotion from amongst Accounts Clerks; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (i) in case of Assistant,--
 - (i) by promotion from amongst Accounts Clerks/Junior Scale Stenographers; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (j) in case of Accounts Clerk,--
 - (i) by promotion from amongst Clerks; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (k) in case of Junior Scale Stenographer,--
 - (i) by promotion from amongst Steno-typists; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (1) in case of Driver,--
 - (i) 80 per cent by direct recruitment; and
 - (ii) 20 per cent by promotion from amongst employees of Group D; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (m) in case of Steno-typists,--
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(n) in case of Clerk,--

PRODUCE NO

- (i) 80 per cent by direct recruitment; and
- (ii) 20 per cent by promotion from amongst employees of Group D; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (o) in case of Gram Sachiv,--
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (p) in case of Patwari,--
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cummerit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.
- 10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Probation

Provided that -

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;

see an administration of the act for the

- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment -
 - (i) revert him to his former post; or

- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may -
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, -
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory, -
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert his to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadres:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a

member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

Provided further that the seniority of employees holding identical cadres put together in these rules, earlier governed under different sets of rules, shall be determined from the date of their appointment to the post held on the commencement of these rules.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to serve.

- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under -
 - (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana.
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, leave, pension and other matter.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of subrule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- 15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when Government to directs by a special or a general order.

16. Every member of Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Vaccination.

Oath of allegiance.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings.

20. The Haryana Development and Panchayat Department (Group C) Service Rules, 1980 and Haryana Panchayats State Service Group 'C' Rules, 1979 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

[See rule 3]

-	Tarrier -	T		•	Today today
Sr. No.	Designation of post	<u> </u>	Number of posts	й н ,	Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	rog sidel 4 and 8
ı	2	3	4	5	6
1	Circle Head Draftsman	1	4	5	Pay Band-2 ₹ 9300-34800+ ₹ 4000
2	Deputy Superintendent	8	34	42	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
3	Head Draftsman	1	22	23	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
4	Junior Engineer (Civil)	-70	447	517	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
5	Junior Engineer (Electrical)	2	3	5	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
6 -	Social Education and Panchayat Officer	86	83	159	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
7	Draftsman	15.	11 -	26	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
8	Accountant	76	83	159 mai	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
9	Assistant	235	45	280	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
10	Accounts Clerk	12	142	154	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2400
11	Junior Scale Stenographer	* <u>*</u>	4	4	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2400
12	Driver	72	90	162	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2400 + ₹ 100 Special Pay
13	Tracer	2		2	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2000
4	Steno-typist	71	93	164	Pay Band B-1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 + ₹ 100 Special Pay
5	Clerk	235	100	335	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900
6	Gram Sachiv	900	1337	2237	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900
7	Patwari	116	-	116	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900

Note: (i) 30 posts of Section Officer (SAS) are sanctioned for Development and Panchayats Department, which are filled from the Finance Department.

- (iii) The posts of Tracer vacated due to promotion, retirement and any other reasons shall be abolished automatically since the cadre of Tracer is diminishing cadre.
- (iv) District cadre would be maintained in the case of Gram Sachiv and Patwari. However, their interseseniority would be of State Level and maintained accordingly. Districtwise break-up of these posts appended herewith as Appendix-A-I

⁽ii) I post of Naib Tehsildar is sanctioned for Development and Panchayats Department, which is to be filled from Revenue & Disaster Management Department.

Appendix-A-1

Serial Number	Name of District	Name of the post	Number of posts
1	Ambala	Gram Sachiy	150
		Patwari	6
2	Bhiwani	Gram Sachiv	172
		Patwari	9
3	Faridabad	Gram Sachiv	41
	-0180 k-140 1-5 t-50 kt	Patwari	2
4	Fatehabad	Gram Sachiv	91 /mm41
		Patwari	5
5	Gurgaon	Gram Sachiv	77
152	THE STATE OF THE SECOND	Patwari	1899 1 AVAILTE 4 1
6	Hisar	Gram Sachiv	115
11.539	Trees this . Fr	Patwari	9
7	Jhajjar	Gram Sachiv	91
		Patwari	5
8	Jind	Gram Sachiv	112
1,111		Patwari	7
9	Kurukshetra	Gram Sachiv	140
		Patwari	5
10	Karnal	Gram Sachiv	135
	A THE COLUMN TO THE THE THE	Patwari	6
11	Kaithal	Gram Sachiv	98
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	Patwari	6
12	Mewat	Gram Sachiv	114
		Patwari	5
13	Mohindergarh	Gram Sachiv	127
		Patwari	5
14	Palwal	Gram Sachiv	87
	Gen for Table	Patwari	4
15	Panipat	Gram Sachiv	59
-		Patwari	5
16	Panchkula	Gram Sachiv	44
	San Control of the Control	Patwari	4 (189/10)
17	Rewari	Gram Sachiv	128
illw mai	ent and temperapets Depter	Patwari Patwari	192 10 M290 (to 5 (1) . 152
18	Rohtak	Gram Sachiv	53
है हो स तंत्र	dw impiani god za zadomi	Patwari - 1990 to 1990 when the second	5
19	Sirsa	Gram Sachiv	123
a stode s	d liggs on our testion can b	Patwari	9 m 7 at
20	Sonepat	Gram Sachiv	(1960-11) - SML 118
and a second	It these I made one	Patwari	2852 to . 7 (29)
21 201	Yamuna Nagar	Gram Sachiv	162
		Patwari	6

APPENDIX B

(See rule 7)

		(See rule 7)	5.1
Serial Number	Designation of posts	Academic Qualifications Experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointmen other than by direct recruitment
1.	2	* * * 3 as	4
1 6	Circle Head Draftsman		By Promotion – five years experience as Head
	man " it is a	S. B. John C. Strovand	Draftsman; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Circ Head Draftsman;
	Profite - New Tool Note: The own Tile Note:	nordala re do 40	(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education and
	Kee sid Maruk par Ka maruk paraga		(iii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution:
2	Deputy Superintendent	-	By Promotion –
onsonte es	to the embrica		five years experience as Assistant/Accountant;
•	The control of the second of t	test de la constant d	(i) Two years experience as Deputy Superintendent; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education:
the are for govern	the about 1 of the contract on the Cl on the Cl on to each. the of three gift out 1 as given (fry C) 1 intermediate contract inte		By Promotion – three years experience as Draftsman; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Head Draftsman; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution;
- Baragan	Junior Engineer (Civil)	 (i) Matric/10+2 from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; and (iii) Diploma in Civil Engineering from any recognized institution; 	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Junior Engineer; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Civil Engineering from any recognized institution

1	2	3 0 V - V - V - OVE	4
5 Line sheding between the second sec	Social Education and	 (i) Matric/10+2 from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Electrical Engineering from any recognized institution; (i) Graduation from any recognized university in any stream; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; 	
ental/con naceim to quiename tos naceim	id Self Look bro Sikle" motest on		By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Socia Education and Panchayat Officer; (ii) Graduation from any recognized university in any stream; and
	- Employed St. Personal Communication of the Commun		(iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
AL COLOR SAN MISSION SAN MISS	de anno de de	 (i) Matric/10+2 from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Draftsmanship Civil from any recognized institution; 	(i) Two years experience as Tracer; and (ii) Diploma in Draftsmanship
er i duk ituan smanstap	in helanofolomis part to builde faut no succipe!		 (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution;
	Accountant Street Stree	Magazi wa neo 1 Magazi Magazi a na n	By promotion – three years experience as Accounts Clerk;
e sacetoa Laganeeniag	atomic Himbolicher Arton	to the case ation, and for the transferring first any recognized never to	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Accountant; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;

		2	3		4
9		Assistant		By I	Promotion –
					years experience as Accounts k/Junior Scale Stenographer.
		noth; quit e relate			Fransfer or Deputation -
		- Lincollingua sasu Cont.) Egi ang ang mga mga mga mga mga mga mga mga mga mg	(i)	Two years experience as
			VV. catherina in the many of the second of t	1 .,	Assistant; and
		in IA one opiante dobre e subble of ord melocolorie	to have satisfy and consistent in	(ii)	Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
10		Accounts Clerk	cost above by inthocetic and a	By I	romotion –
			i 1 In amount fortigrowable not impre-	three	years experience as Clerk; and
			the sum of the second of the break of	By T	ransfer or Deputation -
			en christian thereto at 15 worth per include a	(i)	Two years experience as Accounts Clerk; and
		goosa city	elija e Lyp, socio 20 — radgid/vine/s	(ii)	Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
1	nkei.	Junior Scale Stenographer	- Land Carlotte de la contraction de	By P	romotion –
5 % 1		inordida di para di salesti di sa	f . " . te . to e ." . e . to		Two years experience as Steno- typist; and
		Popular share re rener popular share re rener quality auyong a	Alian and Language and their extremely and their states of the		English Shorthand speed at rate of 100 words per minute and transcription thereof at the spee of 15 words per minute:
		ng a na Ivilan tre abreit ann a dina Grana S	a rigita of agraciable managements in		or
		om i ga kirek isabilk isa isa kiri isabilkingsid isabilking ak garaga dagk isabilking ak garaga dagk	RECEONSTANCE OF THE ENGINEERS OF THE		Hindi Shorthand speed at rate of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 11 words per minute;
		- in comment on relegant		1	ransfer or Deputation -
		na against mystere son constitution	, ,	(i)	Two years experience as Junior Scale Stenographer, and
		i wa gana ang belantelip ang akana Angkanak atao i		(ii)	Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.
2	nessa 1	Oriverated zelacing	(i) Matric with Hindi or Sanskrit or its equivalent from any recognized institution; and	By Pi	romotion – Matric with Hindi or Sanskrit or its equivalent from any
		e di compressione di la compress	(ii) Valid driving licence of Light or heavy vehicle and three years experience as Driver;	(ii)	recognized institution; Valid driving licence of Light
		elo tari-fi e un terse	reade independent if we		or heavy vehicle; five years service as Group D employee; and
		Figure Polynom Fee F	Macroy Hydron (1942) 19 13 January 1956 - Washington Trans		ransfer or Deputation -
		T time to be about the	Todagnas becings as	- 5000	Two years experience as
		describe a trabula	complete on the market of the		Driver; and
			in a later tend or broken		Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;

- 1_	2	3	4
13	Tracer	Diminishing cadre	
14	Steno-typist	(i) Matric/Higher Secondary/10+2	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Steno
	bas d	(Vocational) from any recognized Institution or its equivalent: (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard	typist; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric
		or higher education; and (iii) Hindi shorthand at 64 words per	standard or higher education.
	Trae for Orpheration Trae for Orpheration Trace for or Orpheration The Constant	minute and transcription thereof at 11 words per minute OR English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute;	
15	Clerk the trade to	(i) Matric/Higher Secondary/10+2 (Vocational) from any recognized institution or its equivalent;	By Promotion – (i) Matric with Hindi or Sanskrit or its equivalent from any
	t and only property to the typical transfer of	(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; and	recognized institution; (ii) five years service as Group D
i in	Fine test Shortisand or court of the court o	(iii) appointee shall be required to qualify	employee; and (iii) appointee shall be required to
	of a man or serves or serv	minute respectively within one year of the appointment otherwise he shall not be given any annual increment;	qualify a typing test either in Hindi or English at a speed of 25 and 30 words per minute respectively within one year of the appointment otherwise he shall not be given any annual increment;
	Lie productiva de l'ocasile s	d B	By Transfer or Deputation –
	man dan erese .		(i) Two years experience as Clerk and candidate must have qualified the typing test;
	- motion of	Land Table and the land of the	(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
	Gram Sachiv	(Vocational) from any recognized	y Transfer or Deputation – i) Two years experience as Gram Sachiv; and
	Disconnected to the property of the property o	(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
	Patwari	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Patwari; and Hindi/Sanskrit upto Matric
	ankingoja kasimbo la	(ii) Hindi or Sanskrit upto Matric standard or higher education;	standard or higher education.

			ADDRESS			
			APPENDIX			
Sr	Danisan		[See rule 14(1)]		
No		authority	Nature of penalty	Authority empowered impose Pena	to authority	Second and final appellat authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
	Circle Head Draftsman	Director	MINOR PENALTIES		Administrativ Secretary	e Government
2	Deputy Superintendent		(i) warning with a copy on the personal file (character roll); (ii) censure;			
3	Head Draftsman	Chief Engineer	(iii) withholding of promotion;	Chief Enginee	r Director	Administrative
4	Junior Engineer (Civil)	Director	of the whole or part of any pecuniary	Director	Administrative Secretary	Secretary Government
5	Junior Engineer (Electrical)		loss caused by negligence or breach of orders to	1		an ear
5	Social Education and Panchayat Officer	Director	the Central Government or a State Government or to a company and	Director	Administrative Secretary	Government
,	Accountant	**	association or a body of individual whether			
	Assistant	,,	incorporated or not, which is wholly or substantially owned			ž.
	Junior Scale Stenographer	"	or controlled by the Government or to a local authority of			
0	Accounts Clerk		university set up by an Act of Parliament or the			
	Draftsman	Chief Engineer	Legislature of a State; and (v) withholding of	Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
	Driver	Joint Director	increments of pay without cumulative effect;	Joint Director	Director	Administrative
		1 2	MAJOR PENALTIES:			Secretary
	Ггасег	Chief Engineer	(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;	Chief Engineer		Administrative Secretary
	Steno-typist Clerk	Joint Director	and the second s	Joint Director		Administrative Secretary

1	2	3	4.	5	6	7
16	Gram Sachiv	Deputy Commissioner	with further directions as to	Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary
17	Patwari	-	whether or not the Government and a employee will earn			
		ay made	during the period of		the state of	
-477	rang manil street minutes	ellen of hard - Lenarative	such reduction and whether or the	359	- E	
	7(1P		expiry of such period, the reduction will or			
	manager and	nini n	will not have the	lay 1		estrones di composition di
	*		the future increments of his	Mar -		
	1		pay: (viii) reduction to a lower			Supernated:
	t= "		scale of pay grade, post or service	e to elange	nem pro-	- 16-17 1 to - 14
	E	9,42	which shall ordinarily be a bar		at part a max	que sont 1
		ERST 1	to the promotion of the Government			
			employee to the time scale of pay, grade, post or			e fracti
			service from which			
		de te	with or without further direction		1	
	5 T		regarding conditions of			
		g n	restoration to the grade, post or			
			service from which the Government employee was		" I H	in sekth
5			reduced and his seniority and pay on		0.665.07	Assertance for the state of the
		<u> </u>	such restoration to that grade, post or	55 55		Transaut.
4			service; (ix) compulsory		- Yould	product 1
			retirement; (x) removal from			
			service which shall not be a			
	englones englones	ntous sit in a collaboration	disqualification for future employment under the	1691-1	D R SEE E	A G
			under the Government: (xi) dismissal from	aletr.	T SHO A	
	Adiestrum Tenancia	edos 1 Tablida	service which shall ordinarily be a	(- d) 1	el fear fi	1 - 200 S
	otens out A	aga, a	disqualification for future employment under Government	LE TENT	L sam u	Terrescone 72

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of Posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second Appellate authority
11	2	4	5	6	7
1	Circle Head Draftsman	(i) reducing or withholding the	Director	Administrative Secretary	Government
2	Deputy Superintendent	amount of ordinary or additional pension			
3	Head Draftsman	admissible under the rules governing pension:	Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
4	Junior Engineer (Civil)	(ii) terminating the appointment of a member of service	Director	Administrative Secretary	Government
5.	Junior Engineer (Electrical)	otherwise than on his attaining the age fixed for	*	5 and 1880 Z	
6	Social Education and Panchayat Officer	superannuation.	Director	Administrative Secretary	Government
7	Accountant				
8	Assistant				
9	Junior Scale Stenographer				
10	Accounts Clerk				
11	Draftsman		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
12	Driver		Joint Director	Director	Administrative Secretary
13	Tracer		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
14	Steno-typist		Joint Director	Director	Administrative Secretary
15	Clerk				
16	Gram Sachiv		Deputy	Director	Administrative
17	Patwari		Commissioner		Secretary

P. RAGHAVENDRA RAO

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Development and Panchayats Department